JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों से उन्मुखीकरण अध्ययन

डॉ. किरण मिश्रा **डॉ. चित्रा शर्मा** **ज्योति पाराशर**
विभागाध्यक्ष
रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय

रुपरेखा :-समेकित शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का अध्ययन करने हेतु शिक्षकों का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन पद्धति द्वारा किया गया है।इस प्रकार प्रश्नावली को सभी 300 शिक्षक, शिक्षकाओं को दिया गया एवंआकड़ों का संग्रहण करने के उपरांत निष्कर्ष में पाया कि **अशासकीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानो कि जानकारी शिक्षिकों से अधिक पाई गई है।**

प्रमुख शब्द :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016,अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ

प्रस्तावना :-

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिये जितने भी अधिनियम बने वह दिव्यांगो के लिए समान अवसरों, अधिकार, संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी की बात करता है, दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके तथा इनका शोषण मुक्ति रोजगार के अवसर शिक्षा तथा पुर्नवास हेतु व्यवस्था की जाये, इसके चलते भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 भारत में दिव्यांग लोगों के समान अवसरों के लिए संघर्ष में एक मील का पत्थर है, सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत तैयार किया गया। इस विधेयक का मसौदा 2014 में राज्य सभा में लम्बित था। राष्टपति की स्वीकृति 27 दिसम्बर 2016 को प्राप्त हुई, तथा इस अधिनियम को 30 दिसम्बर 2016 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पूर्व निर्धारित 7 दिव्यांताओं के स्थान पर 21 दिव्यांगताओं को सम्मिलित किया गया है।

विशेष का अर्थ विशिष्टता से है जिसको असाधारण भी कहा जाता है । विशिष्ट का विशेष बालक वे हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न–भिन्न अथवा असामान्य हैं । कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं । यह विभिन्नता अनेक पक्षों में देखने को मिलती है । विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अन्य शब्दों में अपवादी बालक भी कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बालकों से भिन्न होते हैं । इन बालकों की आवश्यकतायें भी भिन्न–भिन्न होती हैं । मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों का व्यवहार आवश्यकता जनित होता है । इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर बालक हताशा की प्रतिक्रिया के रूप में अपने विचार प्रकट करता है । एण्डरसन के अनुसार, **" व्यक्ति उसी समय व्यवहार करता है जब उसके समक्ष कुछ आवश्यकतायें होती हैं और वो उन्हें सन्तुष्ट करना चाहता है । व्यक्ति की आवश्यकता प्रेरक, बोधनियता तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से प्रभावित होती है । "**

शोध अध्ययन की आवश्यकता :–

दिव्यांगजनों के लिए बनाए गये दिव्यांग जन अधिकार, अधिकार अधिनियम 2016 के प्रति डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के शिक्षकों में इस अधिनियम के प्रति क्या उन्मुखता है जीवन की सामान्यलय दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि विभिन्नता व्यक्तिक होती है और दिव्यांगजनों में विभिन्नता इस हद तक हो जाती है। जिसके कारण वह सामान्य जीवन शैली का सामना नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में दिन प्रतिदिन नई प्रकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद भी दिव्यांग जनों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगजनों की जीवन शैली सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यधिक समस्यात्मक होती है और यही समस्या होती है, और यही समस्या दिव्यांगजनों के क्रियाकलाप एवं गतिशीलता को प्रभावित करती है। जिसमें से भौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि सम्मिलित है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकानेक प्रयास किये गये जिसके तहत 1981 में एडिप योजना की शुरूआत हुई, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करती है। योजना हेतु दिव्यांगजनों हेतु उन सभी सहायक उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों की समस्याओं से संबंधित है चाहे वह गामक अक्षमता, श्रवण बधिरता, दृष्टिहीनता आदि हो। इसके अतिरिक्त भी कई तरह के अधिनियम एवं संस्थाएं बनीं, जो दिव्यांगजनों के पुर्नवास हेतु कार्य करती है। जिनमें आर0सी0आई0 एक्ट (1992) पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट (1995) एन0टी. एक्ट (1999) तथा आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट (2016) आदि भारत सरकार की सोच यह थी कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को समाज में असहाय नहीं महसूस

करेगा। इस तरह भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 को बनाया ताकि दिव्यांगो को उनके अधिकार तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके।

शोध विधियां :–

प्रत्येक शोध कार्य का एक निश्चित लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता उस शोध से सम्बंधित उद्देश्यों को स्पष्ट कर शोध कार्य करता है तथा उस शोध संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उससे दिशा निर्देश सुनिश्चित करने के लिए शोध विधियां हाती हैं, जो निरन्तर मार्गदर्शन का कार्य रती है, जिसके अंतर्गत शोध डिजाइन, जनसंख्या, प्रतिदर्श, प्रतिदर्शन विधि, उपकरण, प्रतिदर्शन आदि सम्मिलित हैं । प्रस्तुत लघु शोध में शोधर्ता द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वे विधि का प्रयोग किया गया है ।

अध्ययन के उद्देश्य :–

- शिक्षकों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के घटकों के प्रति उन्मुखीकरण के स्तर के अध्ययन करना ।
- अशासकीय शिक्षकों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों से उन्मुखीकरण के स्तर का अध्ययन करना ।

शोध की परिकल्पनाएँ :–

- अशासकीय शिक्षकां में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों से उन्मुखीकरण में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा ।

परिकल्पना क्र. – 03

अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों से उन्मुखीकरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

सारिणी क्रमांक 4.3

क्रमांक	समूह	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी. टेस्ट	कि	परिणाम
1.	शिक्षक	150	18.31	4.27	5.51	2.98	0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है
2.	शिक्षिकाएँ	150	16.05	4.42			0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है

0.05 स्तर पर सारणीमान = 1.96

0.01 स्तर पर सारणीमान = 2.58

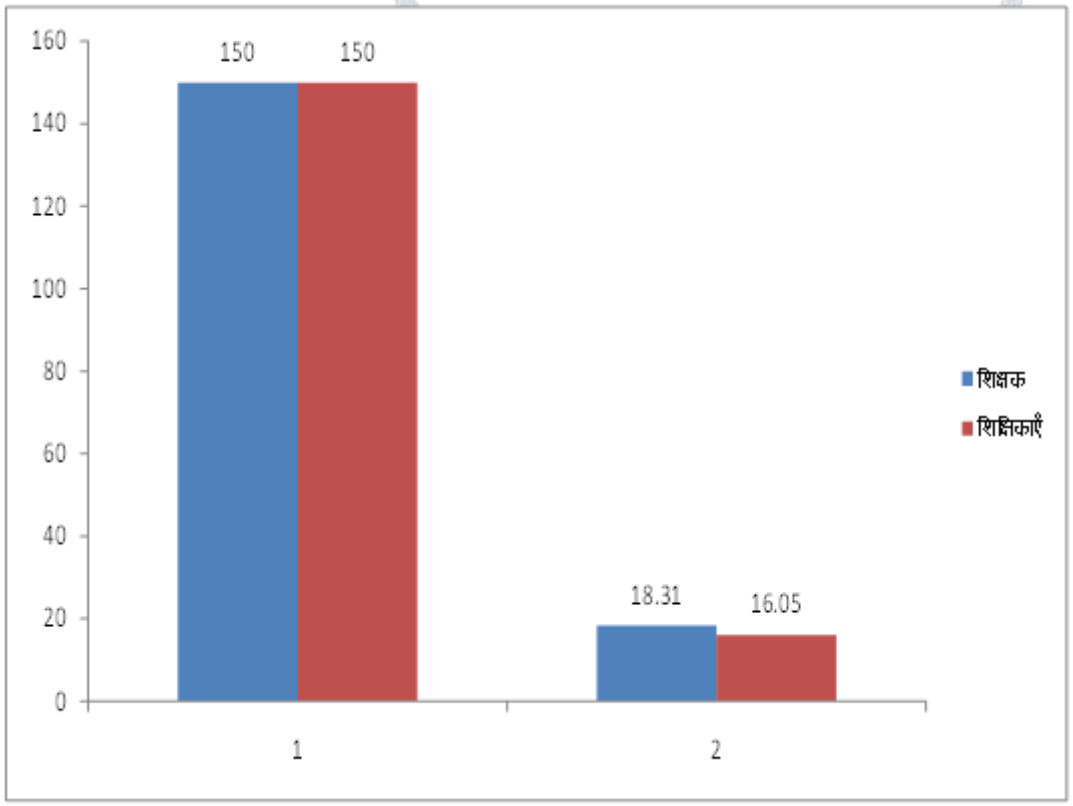

व्याख्या : उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों में उन्मुखीकरण का मध्यमान क्रमशः 18.31 तथा 16.05 है । प्राप्त टी का मान 5.51 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 2.98 पर सार्थकता के 0.05 स्तर के सारिणी मान 1.96 से अधिक है तथा 0.01 स्तर क सारणी मान 2.58 से भी अधिक है ।

विवेचना : आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं में दिव्यांगजनअधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के उन्मुखीकरण में सार्थक अंतर नहीं है । अतः परिकल्पना '' शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं में दिव्यांगजन अधिकारअधिनियम 2016 के प्रावधानों से उन्मुखीकरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।'' स्वीकार होती है ।

परिसीमांकन :–

1. इस शोध कार्य का सीमांकन सिर्फ भोपाल क्षेत्र तक ही सीमित है ।
2. इस शोध कार्य में अशासकीय शिक्षकों को ही चयनित किया जाएगा ।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिकार अधिनियम 2016 की नीति को लिया गया है ।

—::— संदर्भ ग्रंथ सूची —::—

- आडवानी, एल. (1992), एक्सपेंडिंग होराइजिंग इन द एजुकेशन ऑफ द विजुअली हेन्डीकेप्ट, छौम्ब न्यूज़, वाल्यूम 20(5), 15—16
- पुनानी भूषण(1996), एडवांटेज एण्ड लिमिटेशन ऑफ इन्टीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबिलिटीज एण्ड इम्पायरमेंट, वाल्यूम 10(2), 111—125
- लिमये, संध्या (2016), '' विकलांगजनों का सामाजिक समावेशन : मुद्दे व रणनीतियाँ '' योजना, मई 2016 पृष्ठ 25—27
- आस्था, शर्मा, (2011), '' इन सर्विस प्राइमरी टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इनक्लूजन; सर्वे रिजल्ट्स फ्राम डिस्ट्रिक्ट कुरूक्षेत्र (हरियाणा) '' इन्टरनेशनल जरनल ऑफ मल्टीडिसीपिलीनरी रिसर्च, वाल्यूम — 1, इश्यु 8, दिसम्बर, 2011, ष्छ.22315780
- कठेरिया, अश्वनी कुमार (2015), '' समावेशी शिक्षा के प्रति प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अध्यापकों के दृष्टिकोंण का तुलनात्मक अध्ययन, एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, म.द.स.वि. अजमेर
- गीता, टी. (1998) इफिसियेसी ऑफ रेमेडियल पैकेज इन आउमेंटिंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स, स्किल टू हेल्प डायसकलकुलिक चिल्ड्रन, पीएच.डी. एजु., अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइन्स एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वूमन, कोयम्बटूर.
- छैल बिहारी (2013), '' प्रारम्भिक स्तर पर समावेशित शिक्षा के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोंण एक अध्ययन '' एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, म.द.स.वि. अजमेर ।
- कमलम, एम. (1996), केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द, टीचर्स इन एजुकेटिंग द माइल्डली मेन्टली रिटारडेड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, पीएच.डी. एजु.
- भगेल, ललिता (2013), '' समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का एक अध्ययन '' एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, म.द. स.वि. अजमेर ।
- विश्वास (2010) '' शिक्षकों व अभिभावकों का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण का एक अध्ययन '' एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, म.द.स.वि. अजमेर ।
- रूचिका पाण्डे, माविगिरि के चार्ल्स (2019) ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ लीगल राइट्स ऑफ प्यूपिल विथ डिस्ऐबिलिटी : इण्डियन सिनेरियो आई.जे.आर.ए. आर. इण्डियन जनरल ऑफ रिसर्च एड एनालिटिक व्यू. वाल्यूम 6 इश्यू 1, ष्छ.2348.1269 पृ.क्र. 204—209